सप्तदश बिहार विधान सभा

अष्टम् सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-31.03.2023 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री सत्यदेव राम, स०वि०स० श्री अजीत शर्मा, स०वि०स०	''बिहार में तकरीबन 1 लाख आशा कार्यकर्ता-आशा फैसिलिटेटर ने वर्ष 2005 से ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है, फलत: संस्थागत प्रसव के मामले में बिहार काफी आगे बढ़ा है । जच्चा-बच्चा मृत्यु दर में काफी गिरावट आयी है और राज्य ने सफल टीकाकरण में रिकॉर्ड बनाया है । जोखिम भरे कोरोना काल में इनकी भूमिका को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी सराहा है । माननीय पटना उच्च न्यायालय ने उनकी भूमिका को रेखांकित किया है, लेकिन इन्हें जीने योग्य मानदेय नहीं मिलता है । कोरोना काल का कोई सेवा भत्ता राज्य सरकार की ओर से इन्हें नहीं मिला है । बिहार के ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा की रीढ़ आशाओं को बिहार में अन्य राज्यों की तुलना में यथा-आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक, तेलांगाना आदि से काफी कम सुविधाएं / मासिक मानदेय मिलता है । अत: सभी आशा कार्यकर्ता-आशा फैसिलिटेटर को 1 हजार पारितोषिक की जगह 10 हजार मासिक मानदेय, 10 लाख का रिटायरमेंट लाभ व 5 हजार रुपये का मासिक पेंशन सहित स्वास्थ्य विभाग में स्थाई रूप से समायोजित करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।''	स्वास्थ्य

2. श्री अखतरूल ईमान, स०वि०स० श्री महबूब आलम, स०वि०स० श्री सुर्यकान्त पासवान, स०वि०स०	''सीमाँचल के जिला-अररिया, पूर्णिया, कटिहार एवं किशनगंज अत्यधिक नदियों से घिरा क्षेत्र है । इस क्षेत्र में बहने वाली प्रमुख नदियाँ यथा-महानंदा, कनकई, परमान, बकरा, दास, मेछी एवं डोक इत्यादि बहुत ही भीषण कटाव करने वाली नदियाँ हैं, लेकिन विभाग की ओर से इस क्षेत्र में आवश्यकता से कम कटाव निरोधक कार्य कराने के कारण यहाँ पर हर वर्ष हजारों परिवारों का घर एवं कृषि योग्य भूमि नदी में कटकर विलीन हो जाता है । गत वर्ष ससमय कार्य नहीं कराने के कारण आसजा शर्मा टोली, अर्जुन भिट्टा, मंगलपुर, पोखरिया, सेहनगाँव में 40 प्रतिशत से अधिक कार्य नहीं हो पाया जिस कारण उपरोक्त स्थानों पर कटाव अब भी जारी है । इस वर्ष कटाव निरोधक कार्य हेतु जो योजनाएं अबतक निविदा में गया है उसमें हरिया काशीबाड़ी, रसेली, अर्जुन भिट्टा, बालूटोला खाताटोली, रहट बलिया, भागताहीर आदि ग्रामों का नाम नहीं है । अत: उपरोक्त नदियों के किनारे बसे ग्रामों को नदियों के कटाव से बचाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।''	जल संसाधन

पवन कुमार पाण्डेय
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-17/2023- 781 / वि०स०, पटना, दिनांक- 28 मार्च, 2023 ई० ।

प्रति:- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

28.3.23
(विमलेन्दु भूषण कुमार)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-17/2023- 781 / वि०स०, पटना, दिनांक- 28 मार्च, 2023 ई० ।

प्रति:- माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / माननीय उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव एवं माननीय मंत्रिगण के आप्त सचिव को क्रमश: माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री एवं मंत्रिगण के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

28.3.23
(विमलेन्दु भूषण कुमार)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-17/2023- 781 / वि०स०, पटना, दिनांक-28 मार्च, 2023 ई० ।

प्रति:- मुख्य सचिव, बिहार / राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय / संसदीय कार्य विभाग / स्वास्थ्य विभाग तथा जल संसाधन विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

28.3.23

(विमलेन्दु भूषण कुमार)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-17/2023- 781 / वि०स०, पटना, दिनांक-28 मार्च, 2023 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / प्रभारी सचिव के प्रधान आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

28.3.23

(विमलेन्दु भूषण कुमार)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।